रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1188] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2016/वैशाख 23, 1938
No. 1188] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2016/ VAISAKHA 23 , 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

का.आ. 1758(अ).—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एततद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में कुल-मिलाकर सभी परियोजनाओं के लिए बोए हुए निवल कृषि क्षेत्र का भूमि अधिग्रहण 5 वर्षों के संगत ब्लॉक के लिए निर्धारित किसी जिले में बोए हुए निवल क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परंतु यह कि ब्लॉक 2014-19 के लिए निर्धारित बोया हुआ निवल क्षेत्र वही होगा जो 01 जनवरी, 2014 को था और इसके बाद के ब्लॉकों के लिए यह क्षेत्र वही होगा जो ब्लॉक के प्रथम दिन को होगा (अर्थात् 2019-24 के लिए यह क्षेत्र 01 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार होगा और इस प्रकार आगे भी यही प्रक्रिया रहेगी)।

परंतु यह भी कि किसी वर्ष विशेष में अधिगृहीत कृषि भूमि का क्षेत्र 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए निर्धारित सीमा के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[फा. सं. 13011/04/2015-एलआरडी]

हुकुम सिंह मीना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2016

S.O. 1758(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the Central Government, hereby, notifies that the acquisition of agricultural land in aggregate for all projects in a district shall not be more than five per cent. of the net sown area in a district determined for the relevant block of 5 years:

Provided that the net sown area determined for the block 2014-19 shall be that as on 01st January, 2014 and for subsequent blocks as on the first day of the block (e.g. for 2019-24, it shall be the area as on 01 January, 2019 and so on).

Provided further that the area of agricultural land acquired in a particular year shall not exceed 30% of the limit fixed for five-year block.

[F. No. 13011/04/2015-LRD]

HUKUM SINGH MEENA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.